क्रमांक 16/49/79–6 जी0 एस0–I

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

(1) हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष, अम्बाला तथा हिसार मण्डलों के आयुक्त, सभी उपायुक्त तथा उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) ।

(2) रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट, चण्डीगढ़ ।

दिनांक, चण्डीगढ़ 26 जुलाई, 1979 ।

विषय : हरियाणा लोक सेवा आयोग को पदोन्नति सम्बन्धी प्रस्तावों को भेजने के बारे में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा सरकार के ध्यान में यह तथ्य लाया गया था कि कई विभाग जब कर्मचारियों की पदोन्नति सम्बन्धी प्रस्ताब आयोग को उपयुक्तता तय करवाने हेतु भेजते थे तो वे प्रस्ताव प्रायः अधूरे होते थे अर्थात् सम्बन्धित कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट आदि पूर्ण (अप-टू-डेट) नहीं होती थी जिन्हें पूर्ण करवाने के लिये आयोग को बार बार पत्र-व्यवहार करना पड़ता था। इस प्रकार केसों के अन्तिम निपटारे में काफी देरी हो जाती थी अतः हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 126–1 जी0एस0 I–72/963, दिनांक 17–1–1972 द्वारा आप से अनुरोध किया गया था कि ऐसे प्रस्ताव आयोग को भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इस प्रकार की त्रुटियां न हों । इन हिदायतों को हरियाणा सरकार के परिपत्र कमांक 856–1 जी0 एस0 I–73/6246, दिनांक 7–3–1973 द्वारा दोहराया गया था और यह स्पष्ट किया गया था कि विशेष सावधानी से अनुदेशों का पालन किया जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियां न हों तथा आयोग को इस बारे आपत्ति उठाने का अवसर न मिले ।

2. आयोग द्वारा अब फिर यह ध्यान में लाया गया कि कई विभागों द्वारा उपरोक्त हिदायतों की दृढ़ता से अनुपालना नहीं की जा रही है। सरकार ने इसका गम्भीर नोटिस लिया है ।

3. आप से पुनः अनुरोध है कि भविष्य में उपर्युक्त हिदायतों की दृढ़ता से अनुपालना करवाई जाए।

भवदीय,

हस्ता/–

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक प्रति निम्नलिखित को सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :–

1. सभी वित्तायुक्त, हरियाणा, तथा
2. हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव ।

हस्ता/–

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी वित्तायुक्त, हरियाणा ।
2. हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव ।

अशा: क्रमांक 16/49/79–6 जी0 एस0 I दिनांक 26 जुलाई, 1979.